रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33002/99 भारत सरकार REGISTERED No. D.L.—33002/99
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
सत्यमेव जयते
Delhi Gazette

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 185] दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 7, 2012/कार्तिक 16, 1934 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 185
No. 185] DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 7, 2012/KARTIKA 16, 1934 | N.C.T.D. No. 185

भाग—IV
PART—IV
राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

वित्त (राजस्व-1) विभाग

अधिसूचनाएं

दिल्ली, 7 नवम्बर, 2012

फा. सं. 3(73)/वि. (क. एवं स्था.)/2005-06/डीएस-VI/**188.**—राज्य मंत्रालय की दिनांक 20 सितम्बर, 1950 की अधिसूचना संख्या 124-जे द्वारा यथासंशोधित दिनांक 24 अगस्त, 1950 की राज्य मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या 104-जे के साथ पठित पंजीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, श्री धर्मपाल, आई.ए.एस., सचिव (राजस्व) सह-मंडलीय आयुक्त, दिल्ली को उनके सचिव (राजस्व/मंडलीय आयुक्त) का कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से अगले आदेशों तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए पंजीकरण महानिरीक्षक के रूप में नियुक्त करते हैं ।

FINANCE (REVENUE-I) DEPARTMENT

NOTIFICATIONS

Delhi, the 7th November, 2012

F. No. 3(73)/Fin. (T&E)/2005-06/ds VI/188.—In exersise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Registration Act, 1908 (16 of 1908) read with the Government of India, Ministry of States Notification No. 104-J, dated 24th August, 1950 as modified by the Ministry of States Notification No. 124-J, dated 20th September, 1950, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to appoint Sh. Dharam Pal IAS, Secretary (Revenue) -cum-Divisional Commissioner, Delhi as the Inspector General of Registration for the National Capital Territory of Delhi, with effect from the date he assumed charge of the office of the Secretary (Revenue/Divisional Commissioner) till further order.

फा. सं. 3(73)/वि. (क. एवं स्था.)/2005-06/डीएस-VI/**189.**—भारत सरकार की दिनांक 12 नवम्बर, 1953 के सं. का.नि.आ. 2133 के साथ पठित अनुकूलन विधि आदेश, 1950 द्वारा यथा अनुकूलित सामान्य खंड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) की धारा 3 की उप-धारा (10) के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, श्री धर्मपाल, आई.ए.एस., सचिव (राजस्व) एवं मंडलीय आयुक्त, दिल्ली को उनके सचिव (राजस्व) एवं मंडलीय आयुक्त का कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से अगले आदेशों तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए मुख्य नियंत्रण राजस्व प्राधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश तथा उनके नाम पर,

रविन्द्र कुमार, उप-सचिव-VI (वित्त)

F. No. 3(73)/Fin. (T&E)/2005-06/ds VI/189.—In exersise of the powers conferred by clause (d) of

sub-section (10) of Section 3 of the Ceneral Clauses Act, 1897 (X of 1897), as adapted by the Adaptation of Laws Order, 1950, read with the Government of India's No. S.R.O. 2123, dated 12th November, 1953 the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to appoint Sh. Dharam Pal, IAS, Secretary (Revenue) cum-Divisional Commissioner, Delhi as the Chief Controlling Revenue Authority for the National Capital Territory of Delhi, with effect from the date he assumed charge of the offfice of the Secretary (Revenue)/Divisional Commissioner, till further orders.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,

RAVINDER KUMAR, Dy. Secy.-VI (Finance)

गृह (पुलिस-II) विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 7 नवम्बर, 2012

फा. सं. 11/21/2000/गृह पुलिस-II/6411.—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में यथाविस्तारित महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम, 1999 (1999 का महाराष्ट्र अधिनियम संख्या XXX) की धारा 2(छछ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के उपराज्यपाल, श्री राजीव मोहन, अतिरिक्त लोक अभियोजक, को भारतीय दंड संहिता 464/05 की धारा 3, 4 मकोका, 25/27 आर्म्स एक्ट, 21/29 एनडीपीएस एक्ट, 420/468/471/201/120बी/34 भारतीय दंड संहिता, 3/181 एम.वी. एक्ट, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में यथाविस्तारित महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम, 1999 (1999 का महाराष्ट्र अधिनियम संख्या XXX) के संदर्भ में माननीय अतिरिक्त न्यायालय, साकेत कोर्ट, दिल्ली में अभियोजन चलाने के लिए नियुक्त करते हैं ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश तथा उनके नाम पर,

बी. के. तिवारी, उप-सचिव (गृह)

HOME (POLICE-II) DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 7th November, 2012

F. No. 11/21/2000-HP-II/6411.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 8 of the Maharashtra Control of Organized Crime Act, 1999 (Maharashtra Act No. XXX of 1999), as extended to the National Capital Territory of Delhi, read with Section 2(gg) of the said Act, the Hon'ble Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, hereby appoints Shri Rajiv Mohan, Additional Public Prosecutor, for conducting prosecution of the cese in respect of FIR No. 464/05 under Sections 3, 4 MCOCA, 25/27 Arms Act, 21/29 NDPS Act, 420/468/471/201/120B/34 IPC, 3/181 M. V. Act under the Maharashtra Control of Organized Crime Act, 1999 (Maharashtra Act No. XXX of 1999), as extended to National Capital Territory of Delhi in the Hon'ble Court of ASJ Saket Courts, Delhi.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,
B. K. TIWARI, Dy. Secy. (Home-II)

विधि न्याय एवं विधायी कार्य विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 7 नवम्बर, 2012

फा. सं. 7/विविध/91-96/एजीओटी/पार्ट फाईल/उप-सचिव 2 विधि/3432-38.—महाप्रशासक अधिनियम, 1963 (1963 का अधिनियम संख्या 45) की धारा 62 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के उपराज्यपाल महाप्रशासक (संघ राज्य क्षेत्र) नियमावली, 1972 में संशोधन करने के लिए निम्न प्रकार नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ.—(1) इन नियमों को महाप्रशासक (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) (संशोधन) नियमावली, 2012 कहा जाएगा ।

(2) ये दिल्ली राजपत्र में अपनी प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे ।

2. नियम 1 का संशोधन.—महाप्रशासक (संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली) नियमावली, 1972 (इसके बाद मूल नियमावली के रूप में संदर्भित), के नियम 1 के स्थान पर निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"**संक्षिप्त शीर्षक.**—इन नियमों को महाप्रशासक (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली) नियमावली, 1972 कहा जाएगा ।"

3. नियम 19 का संशोधन.—मूल नियमावली के नियम 19 के अंत में शब्द "प्राप्त आवेदन पत्र 90 दिन की अवधि के भीतर निपटाए जाएंगे" सन्निविष्ट किए जाएंगे ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश तथा उनके नाम पर,

तरुन सहरावत, अतिरिक्त सचिव

DEPARTMENT OF LAW, JUSTICE AND LEGISLATIVE AFFAIRS

NOTIFICATION

Delhi, the 7th November, 2012

F. No. 7/Misc/91-96/AGOT/Part File/DS 2 Law/3432-38.—In exercise of the powers conferred by Section 62 of the Administrators-General Act, 1963 (Act No. 45 0f 1963), the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to make rules to amend the Administrators-

General (Union Territory of Delhi) Rules, 1972 as following, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Administrators-General (National Capital Territory of Delhi) (Amendment) Rules, 2012.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Amendment of rule 1.—In the Administrators-General (Union Territory of Delhi) Rules, 1972 (hereinafter referred to as the principal Rules), for rule 1, the following shall be substituted, namely :—

"**1. Short title.**—These rules may be called the Administrators-General (National Capital Territory of Delhi) Rules, 1972."

3. Amendment of rule 19.—In the principal Rules, in rule 19 the words "the application received shall be disposed of within the period of 90 days" shall be inserted in the end.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

TARUN SAHRAWAT, Addl. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.